

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018


जयपुर, दिनांक : 29.06.2018

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.05.2018 के द्वारा डा. अनसूईया पुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) का सामान्य चिकित्सालय, सोजत, पाली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट, पाली में स्थानान्तरण किया गया था, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


फलस्वरूप डा. अनसूईया पुरोहित पूर्व की भांति सामान्य चिकित्सालय, सोजत, पाली में यथावत पदस्थापित रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सोजत, पाली
- 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव